भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)
लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 686

(दिनांक 26.06.2019 को उत्तर के लिए)

अधिकारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार के मामले

686. श्री रेवती त्रीपुराः
श्री विनसेंट एच. पालाः
क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश में, आज की तारीख तक उन भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) और भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) के अधिकारियों का ब्यौरा क्या है जिनके विरुद्ध आरोप-पत्र जारी किए गए हैं;

(ख) गत पांच वर्षों में राज्य-वार कितने आईएएस/आईपीएस अधिकारी भ्रष्टाचार में संलिप्त हैं और उनके विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है/की जा रही है;

(ग) गत पांच वर्षों के दौरान कितने आईएएस/आईपीएस अधिकारी जेल में बंद हैं या जेल गए हैं;

(घ) गत पांच वर्षों के दौरान भ्रष्ट अधिकारियों से वर्ष-वार और राज्य-वार कितनी राशि वसूल की गई है;

(ङ) आज की स्थिति में, आईएएस/आईपीएस अधिकारियों पर भ्रष्टाचार के कितने मामले लंबित हैं; और

(च) अब तक कितने आईएएस और आईपीएस अधिकारियों को निलंबित और पदच्युत किया गया है?

उत्तर

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (डॉ. जितेन्द्र सिंह)

(क) से (ड) गत पांच वर्षों के दौरान अर्थात मई 2014 से मई 2019 तक भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) के 23 अधिकारियों तथा भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) के 4 अधिकारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम,1988 के तहत अभियोजन की स्वीकृति प्रदान की गई है।

केंद्र सरकार/ राज्य सरकारों की अनुमति प्राप्त करने उपरांत जाँच एजेंसी भारतीय प्रशासनिक सेवा/भारतीय पुलिस सेवा के आरोपी अधिकारियों के विरुद्ध अभियोजन चलाने के लिए न्यायालयों में आरोप पत्र दायर करती है।

न्यायालय के निर्णय के अनुसार अधिकारियों से वसूली की जाती है।

(च) गत पांच वर्षों के दौरान, भ्रष्टाचार के आरोप में भारतीय प्रशासनिक सेवा के दो अधिकारियों को बर्खास्त किया गया है तथा भारतीय पुलिस सेवा के नौ अधिकारियों को निलंबित किया गया है।

******